



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264192  
CG-DL-E-27062025-264192

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176।  
No. 176।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/ आषाढ़ 5, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ ASADHA 5, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2025

(मामला संख्या: -एडी(ओआई)-44/2024)

विषय: चीन जन. गण. और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पैरा-टर्शियरी ब्लूटाइल फिनोल” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं.06/47/2024-डीजीटीआर.-

- समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” या “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने चीन जन.गण. और ताईवान (जिन्हें

यहां आगे “संबद्ध देश” का गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल” (जिसे यहां आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध सामान” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. और ताइवान से संबद्ध सामानों के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अंतरिम शुल्क लगाने की भी मांग की है।
- क. **विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी)**
3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फेनोल” या “पीटीबीपी” है जो सीएएस संख्या 98-54-4 के अनुरूप है। पीटीबीपी को 4 टार्ट ब्यूटाइलफेनोल/पी टर्न ब्यूटाइलफेनोल/ पीटीबीपी केमिकल/पैरा टार्ट ब्यूटाइल फेनोल के नाम से भी जाना जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है। पीटीबीपी रसायन आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटिलिन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है।
5. पीटीबीपी को उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में फिनोल में आइसोमर ब्यूटेन के गैसीय मिश्रण को शामिल करके तैयार किया जाता है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से एक परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सिसल एसीटेट (पीटीबीसीएचए) निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एपॉक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित कई प्रकार के रेजिन के निर्माण के लिए भी किया जाता है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 2907 1940 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
- ख. **समान वस्तु**
7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तथा दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा विनिर्मित आयातित संबद्ध सामान और वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों के उपभोक्ता आवेदक द्वारा विनिर्मित आयातित संबद्ध सामानों और वस्तुओं का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की “समान वस्तु” मानते हैं।
- ग. **संबद्ध देश**
8. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और ताइवान हैं।
- घ. **जांच की अवधि (पीओआई)**
9. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में अप्रैल 2024 - दिसंबर 2024 (9 महीने) प्रस्तावित किए हैं। यह दावा किया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए 9 महीने यानी अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की अवधि उपयुक्त है। संबद्ध देशों से पाटित आयात माह अप्रैल 2024 अर्थात दिनांक 14 मार्च 2024 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2024 सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से ही घरेलू बाजार में आने शुरू हो गए थे। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2024 - मार्च

2025 (12 महीने की अवधि) मानी है। अति जांच अवधि में 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

**ड. घरेलू उद्योग और आधार**

10. यह आवेदन-पत्र मेसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और उसने जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। आवेदक का उत्पादन भारतीय घरेलू उत्पादन का 100% है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह इसके किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा करता है।

**च. तथाकथित पाटन का आधार**

**क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

11. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार संचालित हैं तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

12. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। घरेलू उद्योग ने विक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और मुनाफे के लिए उचित जोड़ के साथ भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य, विक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और मुनाफे को उचित रूप से समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है।

**ख. ताइवान के लिए सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने दावा किया कि उसने ताइवान के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की कीमत की सूचना अथवा प्रकाशित स्रोतों से कीमत का सबूत प्राप्त करने के प्रयास किये हैं। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जो ताइवान सहित वैश्विक बजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रदान करता हो। इसके अतिरिक्त, ताइवान में आयात मूल्य या ताइवान से तीसरे देशों को निर्यात कीमत भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अतः, ताइवान के लिए सामान्य विक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उपयुक्त लाभ के लिए अभिवृद्धि के बाद ताइवान में उत्पादन लागत में अनुमानों पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया है और जांच की शुरुआत के उद्देश्य से उस पर विचार किया गया है।

तथापि, जांच शुरू करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, विक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च के लिए उचित लाभ के साथ विधिवत समायोजित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर ताइवान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की आगे जांच करेंगे।

**ग. निर्यात कीमत**

14. आवेदक ने जांच अवधि के लिए समर्पित वर्गीकरण के तहत रिपोर्ट किए गए आयातों के लिए प्रकाशित डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों पर विचार किया है। तथापि, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, बंदरगाह और अंतर्रेशीय माल दुलाई खर्च, सार-संभाल प्रभार, क्रृष्ण अवधि, भंडारण खर्च, अंतर्रेशीय बीमा और कमीशन के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

**घ. पाटन मार्जिन**

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम स्तर से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी भी है। इस बात के पर्यास प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामान संबद्ध देशों के निर्यातिकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किये जा रहे हैं।

**ड. निर्यातिकों का नमूनाकरण**

16. संबद्ध देशों से बड़ी संख्या में निर्यातिक उत्पादकों की संभावित भागीदारी को देखते हुए, आवेदक ने निर्यातिकों के नमूने लेने का अनुरोध किया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के लिए, तथा नियमावली के नियम 17 के अनुसार, प्राधिकारी नमूना लेने का सहारा ले सकते हैं, अर्थात् चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके अपने निष्कर्षों को हितबद्ध पक्षकारों या सामानों की उचित संख्या तक सीमित कर सकते हैं, या संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं।

**छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क**

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों के कारण उसे हुई क्षति के संबंध में पर्यास प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से जांच की अवधि में अर्थात् कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए पर शुल्क लगाए जाने के बाद, काफी वृद्धि हुई है, जिन पर अब पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। जांच की अवधि में सापेक्षिक दृष्टि से आयात में भी काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है और क्रृष्णात्मक आरओआई है। बाजार में पर्यास मांग के बावजूद जांच की अवधि में मालसूची का स्तर भी बढ़ा है।

18. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि वह पाटन के पिछले दुष्प्रभावों से उबरने की प्रक्रिया में है। घरेलू उद्योग को पहले कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से पाटित आयातों के कारण खुद को स्थापित करने से रोका गया था, अब इसे वर्तमान में शुल्क आकर्षित करने वाले देशों यानी चीन जन.गण. और ताइवान से पाटित आयातों के स्रोत को बदलने के कारण खुद को स्थापित करने से रोका जा रहा है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने के पर्यास प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

**ज. शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जाना**

20. आवेदक ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाना आवश्यक है:

- क. भारत में पाटन का इतिहास रहा है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद पर विगत जांच के तथ्य से सिद्ध है।
- ख. आयातको पिछली जांच के अनुभव के आधार पर पाटन के बारे में पता होना चाहिए था, जिसने उस मूल्य स्तर को स्थापित किया था जिस पर पाटन निर्धारित किया गया था।
- ग. अपेक्षाकृत कम अवधि में महत्वपूर्ण पाटन हुआ है। कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से आयात के खिलाफ व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू होते ही चीन जन.गण. और ताइवान से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- घ. शुल्क न लगाए जाने से पाटन के उपचारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना है।

**झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

21. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दायर विधिवत् प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट होने पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति और तथाकथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को ध्यान रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

**ज. प्रक्रिया**

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ट. सूचना प्रस्तुत करना**

23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) और [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-एक्सल फार्मेट में हैं। फाइलों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष साफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में आयातकों/प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें।
25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

**ठ. समय सीमा**

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) और [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) पर ईमेल के द्वारा जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जानी चाहिए जो जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी अथवा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातिक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना मंगाने और अन्य दस्तावेज मंगाने का नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा, जिस तारीख को वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी अथवा निर्यातिक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित(हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने उत्तर अथवा अनुरोध दायर करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

29. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध रद्द हो सकते हैं।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने अपेक्षित हैं। यदि अनुरोध कई भागों में किया गया है तो संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख करते हुए प्रत्येक भाग में सूची तालिका उपलब्ध कराने का अनुदेश दिया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या डालना सुनिश्चित करें।
31. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनूदित रूपांतर उपलब्ध कराया जाए।
32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिन्हित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय सूचना वाले गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति अगोपनीय रूपांतर होना अपेक्षित है, मुख्य रूप से सूचीबद्ध अथवा ब्लैंकड आउट (यदि सूचीकरण संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के गोपनीय रूपांतर प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
34. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध उचित है अथवा यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
35. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छा कारण विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफों के अनुसार हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
37. प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।
- ३. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में गोपनीय आधार पर अनुरोध दायर करने के अगले दिन से बाद में नहीं। अनुरोध/उत्तर/सूचना का गोपनीय रूपांतर परिचालित न करने की स्थिति में किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।
- ४. असहयोग**
39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथा-उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**Newdelhi, the 26<sup>th</sup> June, 2025**(Case No. AD(OI) - 44/2024)**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Para-Tertiary Butyl Phenol” originating in or exported from China PR and Taiwan**

**F. No. 6/47/2024-DGTR.-**

- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s Vinati Organics Limited has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Para-Tertiary Butyl Phenol” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as “subject countries”).
- The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR and Taiwan are causing injury to the domestic industry and has requested the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject countries. The applicant has also sought interim duties on imports of subject goods from subject countries.

**A. Product Under Consideration (PUC)**

- The product under consideration (PUC) is “Para-Tertiary Butyl Phenol” or “PTBP” conforming to CAS no. 98-54-4. PTBP is also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical/ para tert butyl phenol.
- The product under consideration is an organic aromatic compound with the chemical formula (C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>O). It occurs in a white crystalline solid form and has a distinct phenolic odour. PTBP chemical is usually prepared by a reaction of phenols and isobutylene.
- PTPB is prepared by incorporating a gaseous of isomer butenes into phenols in the presence of an acid activated clay as a catalyst. This product is mainly used to manufacture a perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.

6. The product under consideration is classified under Chapter 29 under customs subheading no. 2907 1940. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

**B. Like Article**

7. The applicant has submitted that there is no known difference in the production process adopted by the applicant and that adopted by the producers of the subject goods in the subject countries. The product produced by the Applicant and the one that is being imported from the subject countries have comparable characteristics in terms of parameters such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The imported subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the imported subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Therefore, for the purposes of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as “like article” to the product under consideration being imported from the subject countries.

**C. Subject Countries**

8. The subject countries in the present investigation are China PR and Taiwan.

**D. Period of Investigation (POI)**

9. The applicant has proposed April 2024 – December 2024 (9 months) as the period of investigation. It has been claimed that the period of 9 months i.e., from April 2024 to December 2024 is appropriate for determining the injury to the applicant in the present case. The dumped imports from the subject countries started entering the domestic market only from the month of April 2024 i.e., after the imposition of anti-dumping duties on dumped imports of the subject goods from Korea RP, Singapore and USA vide Customs Notification No. 04/2024 Customs (ADD) dated 14<sup>th</sup> March 2024. However, the Authority has considered the period of investigation (POI) for the present investigation as April 2024 – March 2025 (a period of 12 months). The injury investigation period will cover the periods 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024, and the period of investigation.

**E. Domestic Industry and Standing**

10. The application has been filed by M/s Vinati Organics Limited (VOL). The applicant is the sole producer of the subject goods in India and started commercial production of the subject goods in July 2020. The production of the applicant constitutes 100% of the Indian domestic production. The applicant has certified that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is it related to any importer or exporter thereof. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

**F. Basis of Alleged Dumping****a. Normal Value for China PR**

11. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
12. The domestic industry has claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to alternative methods are not available. The domestic industry has determined normal value for China PR based on the best estimates of cost of production in India with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. Normal value for China PR, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits.

**b. Normal Value for Taiwan**

13. The applicant claimed that it made efforts to get information of price of the subject goods in the domestic market of Taiwan or any evidence of price from published sources. However, data relating to the price in Taiwan was not available. There is no publication which provides prices of the product under consideration in the global market including Taiwan. Further the import price into Taiwan or export price from Taiwan to third countries is also not available publicly. Therefore, the normal value for Taiwan has been proposed considering estimates of the cost of production in Taiwan, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits and the same has been considered for the purpose of initiation.

However, for the purposes of initiation, the Authority has determined the normal value for Taiwan based on the best available information, having regard to the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable profits. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicant for the determination of normal value during the investigation.

**c. Export Price**

14. The applicant has determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per published DGCI&S data for imports reported under the dedicated classification for the period of investigation. For the purposes of the initiation, the Authority has considered DG Systems data. However, adjustments on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port & inland freight expenses, handling charges, credit period, warehousing expenses, inland insurance and commission have been made.

**d. Dumping Margin**

15. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above *de-minimis* level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**e. Sampling of exporters**

16. In view of the potential participation of a large number of exporting producers from the subject countries, the applicant has requested for sampling of exporters. In order to complete the investigation within the prescribed time limits, and in terms of Rule 17 of the Rules, the Authority may resort to sampling i.e., limiting its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection or to the largest percentage of the volume of exports from the subject countries.

**G. Evidence of Injury and Causal Link**

17. Information furnished by the domestic industry has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The applicant has provided sufficient *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by it because of dumped imports. The imports from subject countries have increased significantly in the POI i.e., after imposition of duties on Korea RP, Singapore and USA, which are now attracting anti-dumping duty. Imports in relative terms have also increased significantly in the POI. The subject imports have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry. The production, sales, and capacity utilization of the domestic industry have increased; however, the domestic industry continues to incur losses and negative ROI. The level of inventories has also increased in the POI despite sufficient demand in the market.

18. The domestic industry has also contended that it is in the process of recovering from past ill-effects of dumping. The domestic industry was earlier prevented from establishing itself because of dumped imports from Korea RP, Singapore and USA, it is now being prevented from establishing itself because of shifting of the source of dumped imports from countries presently attracting duties to the subject countries i.e., China PR and Taiwan.

19. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries.

**H. Retrospective Imposition of Duties**

20. The applicant has requested for retrospective imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject countries. The applicant has claimed that retrospective imposition is necessary due to the following:
- a. There is a history of dumping in India as is evident from the fact of past investigation on the product under consideration.
  - b. The importer should have been aware of dumping, based on experience from the past investigation which established the price levels at which dumping was determined.

- c. There is significant dumping in a relatively short period. The dumped imports from China PR and Taiwan have increased significantly as soon as trade remedial measures were imposed against the imports from Korea RP, Singapore and USA.
- d. Non imposition of duty is likely to undermine the remedial effects of dumping.

#### **I. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

21. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and the causal link between such alleged dumped imports and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **J. Procedure**

22. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

#### **K. Submission of Information**

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) with copy to [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
24. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### **L. TIME LIMIT**

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information

- received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.
- M. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS**
29. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response I submissions.
30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
31. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

#### **N. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

38. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

#### **O. NON-COOPERATION**

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority